कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1283 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 17-11- 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड़ –गोगिनापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 हे0 वनभूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/155257/2022.

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 35 / 2023 / एफ0सी0 / 40 दिनांक 20.04.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1798 / 12–1 (2) दिनांक 03.11.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेटरं– 9208008000

पत्रांक 1798 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 03/ 11 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबगड़ गोगिनापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/155257/2022)

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू.सी.पी./06/35/2023/एफ.सी./40 दिनांक 20.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स0		
1	The village Joshigaon is shown in the village wise breakup at para B 2.3 but the location of village is not shown in the KML. Neither the name of this village has been mentioned in the list of beneficiary villages uploaded as an additional document in online Part-I. State Govt is requested to submit clarification in the regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि ग्राम जोशीगॉव पूर्व से ही मण्डलसेरा बाईपास मोटर मार्ग से लाभान्वित होने के कारण, उक्त ग्राम को के0एम0एल0 में नहीं दर्शाया गया था, तथा लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में उक्त ग्राम को नहीं दिखाया गया है। जिसे के0एम0एल0 मे दर्शाया कर पुनः ऑनलाईन कर दिया गया है।
2	This is evident from the KML that village Falyati is already connected with the existing road and the connectivity of village Kaliyabagar and Goginapani can be worked out from this road. Hence, the concerned DFO is requested to visit the area and explore the possibility to realign the proposed road from the road connecting the village Falyati and then connecting the villages Goginapani and Kaliyabagar with a view of reducing the requirement of forest land and the number of trees affected.	site inspection report attached.
3	Further, alternate alignment may also be worked out by connecting Kaliyabagar and Goginapani Villages with the Bageshwar- Munshyari highway. The State Govt. is also requested to provide the distance of these two villages from the highway.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि कलियाबगड़ एवं गोगिनापानी ग्रामों को पूर्व में बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु उक्त संरेखण से कलियाबगड़ एवं गोगिनापानी के ग्रामीणों द्वारा असहमति व्यक्त की गई। बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग से उक्त ग्राम वासियों को जिला मुख्यालय आने जाने में काफी लम्बा रास्ता तय करना पड़ रहा था, जिला मुख्यालय के साथ–साथ उक्त ग्रामीणों का निकटतम बाजार, अस्पताल, इण्टर कालेज आदि बागेश्वर ही होने के कारण वर्तमान संरेखण से काफी नजदीग हैं जिन्हें आने जाने में समय की बचत होगी एवं इलाज हेतु रोगियों तथा असहाय लोगों को अस्पताल एवं जिला मुख्यालय लाने में सहुलियत होगी। वर्तमान संरेखण के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प कलियाबगड़ एवं गोगिनापानी के ग्रामीणों को जोडे जाने हेतु उपलब्ध नहीं है।

		बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग के कलियाबगड़ की पैदल दूरी लगभग 5 से 6 किमी0 एवं गोगिनापानी की पैदल दूरी लगभग 8 से 10 किमी0 आती है, जो सीधे खड़ी चौड़ाई में है।
4	The muck dumping sites are not located on KML file. it is requested to mark the location of the Muck Dumping sites on the KML file and submit a separate tree enumeration list for the muck dumping sites.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मक डिपिंग स्थल को के0एम0एल0 फाइल में दर्शा दिया गया है। दिनांक 03.06.2023 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित मक डिस्पोजल स्थल का समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निकरीक्षण के दौरान चयनित मक डिस्पोजल स्थलों पर काई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है। संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट संशोधित प्रस्ताव (2.3) प्रपत्र–6 में संलग्न किया जा रहा है।
5	The tree enumeration has been carried out in a width of 9 m, however in such case the enumeration is expected to be carried out within of width of 7m. the state Govt is requested to submit the enumeration list of trees in the 7m road width.	उक्त प्रस्ताव में 7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर वृक्ष सूची 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6	Out of the area proposed for CA, 2ha area is found to be MDF in DSS analysis therefore the concerned DFO is requested to visit the site and ensure that the area proposed for raising CA is suitable for planting tree @ 1000 trees per hectare. If required, the area may be replaced with some other suitable area.	On site inspection of 2 hectare MDF area, it was found that 1000 plants per hectare can be planted in the said area.(report attached.)

संलग्न–4 प्रतियों में

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की आपत्ति के बिन्दु संख्या 2 के कम में आख्या

जनपद बागेश्वर में विधनसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा से कलियाबगड़ होते हुए गोगीनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव प्रान्तीय निर्माण खण्ड बागेश्वर द्वारा तैयार किया गया है । क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति दिनांक 20.04.2023 के बिन्दु संख्या 02 में वर्तमान प्रस्तावित समरेखण के स्थान पर ग्राम कलियाबगड़ व गोगीनापानी को फल्याटी ग्राम से होते हुए वर्तमान मे स्थित मोटर मार्ग से लिंक करने की सम्भावना तलासना हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्थल से दूसरे स्थल को जोड़ने हेतु समरेखण का निर्धारण एक जटिल सिविल इंजीनियरिंक कार्य है तथा इसमें तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। समरेखण का ऐनालिसिस भूगर्भशास्त्री द्वारा भी किया जाता है। प्रभाग स्तर पर इस हेतु प्रशिक्षित एव दक्ष मानव श्रम उपलब्ध नहीं है तथा उचित होगा कि प्रस्तावक विभाग को इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रसारित किये जाय।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं से चर्चा की गयी तथा प्रस्तावित समरेखण की के0एम0एल0 फाइल का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का मुख्य उदेश्य कलियाबगड़ व गोगीनापानी के ग्रामीणों को निकटस्त नगरीय क्षेत्र से जोड़ना है जिससे उन्हें शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा के साथ–साथ बाजार तक सुगम पहुच प्राप्त हो सके। वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार वर्णित दो ग्रामों को मण्डलसेरा से जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण प्रस्तावित किया गया है । उलेखनीय है कि मण्डलसेरा जनपद मुख्यालय बागेश्वर का ही भाग है। इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम कलियाबगड़ व गोगीनापानी सीधे जनपद मुख्यालय से जुड़ जाते है जिस हेतु ग्रामीणों को अधिकतम 3.00 किमी0 दूरी तय करनी होगी। यदि समरेखण ग्राम फल्याटी से होते हुए वर्तमान निर्मित मोटर मार्ग से किया जाता है तो इन ग्रामों की जनपद मुख्यालय से दूरी लगभग 12.00किमी0 हो जाती है। इस नये प्रस्तावित समरेखण मे भी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की आवश्यकता होगी जिसकी सही मात्रा समरेखण के निर्धारणा के उपरान्त ही आगणित की जा सकती है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु रिर्पोट सेवा में सादर प्रेषित है।

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी),
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड़ गोगिनापानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या –155257/2022) में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपने पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/35/2023/एफ0सी0/40 दिनांक 20.04.2023 द्वारा EDS में लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या 06 में Out of the area proposed for CA, 2ha area is found to be MDF in DSS analysis therefore the concerned DFO is requested to visit the site and ensure that the area proposed for raising CA is suitable for planting tree @ 1000 trees per hectare. If required, the area may be replaced with some other suitable area. के कम में अवगत कराना है, कि मेहनरबूगा वन पंचायत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उक्त चयनित भूमि में 1000 पौध प्रति है0 वृक्षारोपण किया जा सकता है।

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर